

55

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

2/2/2003 210 अधि
2/4/4

2

सं.हिंदी 2001/रा.भा.1/12/2

दिनांक 31.3.2003

अधिसूचना

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के निम्नलिखित स्टेशनों तथा दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल की वाणिज्य शाखा को, जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करता है :-

उत्तर रेलवे (लखनऊ मंडल)

1. चारबाग लखनऊ स्टेशन
2. खेतसराय स्टेशन
3. उन्नाव स्टेशन
4. गौरीगंज स्टेशन
5. जायस स्टेशन
6. फुरसत गंज स्टेशन
7. देवराकोट स्टेशन
8. बिलवई स्टेशन
9. अजगैन स्टेशन
10. सोनिक स्टेशन
11. शाहगंज स्टेशन
12. सोहावल स्टेशन
13. पटरंगा स्टेशन

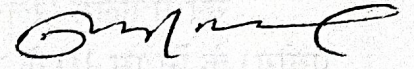


दक्षिण रेलवे
(तिरुवनंतपुरम मंडल)

14. वाणिज्य शाखा

रा.जी.रा.
(राजीव रंजन जारुहार)
सचिव,
रेलवे बोर्ड

भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड 3 के उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ.



(प्रमोद कुमार यादव)

निदेशक, राजभाषा

रेलवे बोर्ड

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली.
2. महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे, चेन्नै
3. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने (उत्तर एवं दक्षिण रेलवे को छोड़कर)
4. रेल मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख.
5. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003.
6. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.

उत्तर रेलवे

बाराबंका

रैलवे

07 MAY 2003

33

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली ।

दि. 6 /04 /2003

सं. 843-ई/147/रा.भा.अ./ई-7/भाग-।।

उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस
नई दिल्ली

- मंडल रेल प्रबंधक, उ.रे., नई दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, फिरोजपुर एवं अम्बाला ।
- मुख्य कारखाना प्रबंधक, उ.रे., जगाधरी एवं चारबाग-लखनऊ ।
- मुख्य कारखाना प्रबंधक, सिगनल वर्कशाप, गाजियाबाद ।
- निर्माण प्रबंधक, उ.रे., कालका ।
- उप मुख्य इंजी., पुल कारखाना, उ.रे., जलंधर छावनी, चारबाग-लखनऊ ।
- उप मुख्य यांत्रिक इंजी., आलमबाग-लखनऊ, अमृतसर ।
- लेखा अधिकारी (यां.ले.) उ.रे., जलंधर शहर ।
- प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चंदौसी एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, चारबाग-लखनऊ ।
- प्रधानाचार्य, ओक ग्राव स्कूल, झडीपानी मंसूरी हिल्स, देहरादून
- प्रधानाचार्य, सिगनल प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद, विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर एवं गाजियाबाद
- वरिष्ठ प्रबंधक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, शकूरबस्ती ।
- उप मुख्य लेखा अधिकारी (या.ले.), स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली ।
- उप भंडार नियंत्रक, शकूरबस्ती, आलमबाग-लखनऊ एवं जगाधरी वर्कशाप ।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, कश्मीरी गेट, दिल्ली ।
- मुख्य दावा अधिकारी एवं उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/वाराणसी ।
- मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली ।
- कारखाना बिजली इंजीनियर, बिजली वर्कशाप, दयाबस्ती ।
- उप मुख्य लेखा अधिकारी/केश, बहुमंजिली भवन, नई दिल्ली ।
- वरिष्ठ इंजीनियर, वट बैल्टिंग प्लांट, मेरठ कैंट ।
- मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/पी.एम./आई.आर.सी.ए. बिल्डिंग, नई दिल्ली ।
- उप मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./माइक्रोवेव, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली ।

विषय:- रेल कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करना।

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के दि. 31.03.03 के पत्र सं. हिंदी/2003/रा.भा./1/12/2 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है । कृपया अपने कार्यालय के संबंधित विभागों को कार्यालय प्रमुख की ओर से व्यक्तिशः आदेश जारी करें तथा इसकी सूचना/प्रधान कार्यालय को भिजवाएं।

संलग्न / प्रमाणित

(संसार चंद)

कृते महाप्रबंधक/राजभाषा

का.प्र.